रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937
No. 50] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2016/MAGHA 15, 1937

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम (ओं) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन), विनियम, 2014

एफ. सं. 7–6/डीडी–एडमिन./एनएसक्यूएफ/2013/II.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम (ओं) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2012 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम (ओं) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, (प्रथम संशोधन) 2014 कहा जाएगा।

2. ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम (ओं) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012" (जिसे इसके पश्चात् मूल (प्रिंसिपल) विनियम कहा जाएगा) के खण्ड 1.1 में संशोधन करके इसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   "1.1 इन विनियमों को "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम(ओं) तथा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2014" कहा जाएगा।

4. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.9 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"2.9 "सामुदायिक महाविद्यालय" से अभिप्रेत राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का संचालन करने वाली तथा तकनीकी शिक्षा संचालित करने हेतु परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित डिप्लोमा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था और/अथवा केन्द्रीय सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और/अथवा विश्वविद्यालय अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त संस्था (जैसा भी मामला हो) से है।"

5. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.10 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"2.10 "सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) योजना के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता।"

6. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.11 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"2.11 "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) योजना के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता से है।"

7. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.25 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

"2.25 "स्तर (लेवल)" से अभिप्रेत वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) योजना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है।"

8. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.26 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"2.26 **"राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचे"** से अभिप्रेत वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 8/6/2013–आईएनवीटी. दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के ढ़ांचे से है।"

9. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.27 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"2.27 "व्यावसायिक शिक्षा" से अभिप्रेत हैं राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) योजना के अंतर्गत सामान्य शिक्षा के साथ–साथ एक निर्धारित स्तर के निर्धारित विशिष्टताओं वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम।"

10. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 2.32 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"2.32 **"कौशल ज्ञान प्रदाता"** से अभिप्रेत है सक्षमता प्राप्त ज्ञान प्रदाता जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) योजना के अंतर्गत व्यावसायिक विषयवस्तु का कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।"

11. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 4.20 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"4.20 संस्थाएं और कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.), जिन्हें राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा (वी.ई.), सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम तथा कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है, वे न्यूनतम अर्हताओं तथा वेतनमान के सम्बन्ध में बनाई गई नीति, परिषद् द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार, शिक्षण कर्मियों, समन्वयक तथा प्राचार्य/निदेशक (यथा प्रकरण) और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार अन्य तकनीकी सहायक स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति का अनुपालन करेंगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोडकर, शेष सभी संस्थाएं शिक्षण कर्मियों /समन्वयक/प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य तकनीकी सहायक स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति पूर्णतयः सम्बन्धित संबद्धक विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड की पद्धति तथा प्रक्रिया (विशेषतयः चयन प्रक्रिया एवं चयन समिति के सम्बन्ध में) के अनुरूप ही करेंगी।

स्टाफ की इन नियुक्तियों के बारे में सूचना, निर्धारित प्रपत्र पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार अभातशिप के वेब–पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी।

किन्हीं भी परिस्थितियों में शिक्षण कर्मियों तथा अन्य स्टाफ की अपेक्षित नियुक्ति किए बिना, संस्थाएं और/अथवा कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) अनुमोदित पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेंगे।"

12. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 6 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"6.0 "किसी शिक्षण संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) की प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी

अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गई कंपनी के पास अपने विधिसम्मत कब्जे में, प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गई कंपनी के नाम पर अथवा आवधिक पट्टे (जो कि 30 वर्ष से कम का ना हो) पर आवेदन जमा करने की तिथि को या उससे पूर्व, स्पष्ट हक के साथ, यथाअपेक्षित और निर्दिष्ट भूमि होनी चाहिए।

परंतु यह भी कि, प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गई कंपनी की प्रस्तावित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के लिए यह बात खुली होगी कि वह केवल अनुमोदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् ही केवल उस भूमि पर स्थित शिक्षण संस्थान/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के विकास के प्रयोजनार्थ संसाधन जुटाने के लिए उस भूमि को गिरवी रख सकेगी"।

13. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 11.0 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"11. **शास्ति**

इन विनियमों के उल्लंघन करते हुए चल रही राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एन.एस.क्यू.एफ.) के अधीन शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण देने हेतु संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) विधिक सिविल कार्रवाई आरंभ करने के लिए दायी होंगे, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है, को वापस लिया जाना और/अथवा परिषद् द्वारा, इसके और/अथवा इसकी प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/धारा (25) के अधीन कंपनी तथा व्यक्तियों/अन्य सहयोजित के विरुद्ध यथा प्रकरण, विधिक आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है।

परंतु यह और भी कि, यदि कोई संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हैं, तो परिषद् ऐसी जांच करके, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.), को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, नीचे निर्दिष्ट, यथा प्रकरण, कोई एक अथवा सभी कार्रवाईयां कर सकेगी।"

14. मूल (प्रिंसिपल) विनियम के खंड 12.1 में संशोधन करके उसे निम्न खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"12.1 व्यावसायिक शिक्षा के कोई भी कार्यक्रम चलाने वाली संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) यदि किसी विनियम अथवा/और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका का उल्लंघन करते हैं तो वे उपयुक्त दण्डिक सिविल कार्रवाई आरंभ करने हेतु दायी होंगे, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है को वापस लिया जाना तथा/अथवा परिषद् द्वारा दोषी सोसायटी/कंपनी/सहयोजित व्यक्तियों तथा/अथवा संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के. पी.) के विरुद्ध यथा प्रकरण आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है।

परंतु यह कि यदि कोई संस्था/कौषल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) इन विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करते है, तो परिशद्, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के. पी.) को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त विनियमों के अंतर्गत संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगी।

पंरतु यह भी कि, अनुमोदन वापसी के ऐसे मामलों में, वर्णित संस्था/ कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) अनुमोदन वापसी की तिथि से, दो शैक्षणिक वर्ष पूरे हो जाने से पहले, दोबारा नहीं चलाई जा सकेंगी।

परंतु यह भी कि, अनुमोदन वापस लिए गए संस्थान/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाली अन्य संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं को पुनः आबंटित किया जाएगा।

ऐसी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, उस संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी) का अनुमोदन राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचे (एन.एस.क्यू.एफ.) के अधीन पाठ्यक्रम चलाने हेतु परिषद् से नया अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही बहाल किया जाएगा।"

डॉ. अविनाश एस. पंत, उपाध्यक्ष

[विज्ञापन—III/4/असा./162(352)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2016

All India Council for Technical Education (Grant of Approval for conducting Vocational Education Program, Community College course(s) and Skill Knowledge Provider under National Vocational Education Qualification Framework) (1st Amendment), Regulations, 2014.

F. No. 7-6/DD-Admn/NSQF/2013-II.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 of the All India Council for Technical Education Act 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education (AICTE) makes the following Regulations to amend the "All India Council for Technical Education (Grant of Approval for conducting Vocational Education Program, Community College course(s) and Skill Knowledge Provider under National Vocational Education Qualification Framework' Regulations, 2012.

Short Title and Commencement:

1. These Regulations may be called All India Council for Technical Education (Grant of Approval for conducting Vocational Education Program, Community College course(s) and Skill Knowledge Provider under National Vocational Education Qualification Framework) (1st Amendment), Regulations, 2014.
2. They shall come into force w.e.f. the date of their publication in the Gazette of India.
3. Clause 1.1 of the "All India Council for Technical Education (Grant of Approval for conducting Vocational Education Program, Community College course(s) and Skill Knowledge Provider under National Vocational Education Qualification Framework' Regulations, 2012 (hereinafter to be called the Principal Regulation) shall stand amended and substituted by the following clause:

   "1.1 These Regulations may be called the "All India Council for Technical Education (Grant of Approval for conducting Vocational Education Program, Community College course(s) and Skill Knowledge Provider under National Skill Qualification Framework) Regulations, 2014."

4. Clause 2.9 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:

   "2.9 "Community College" means Institution offering Diploma Education duly approved by the Council to conduct Technical Education Program and /or the college recognized by the Central Statutory Body and/or affiliated by the University or the State Board of Technical Education, as the case may be and conducting Vocational Education under NSQF scheme."

5. Clause 2.10 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

   "2.10 "Community College course" means specialization in a specific sector under NSQF scheme."

6. Clause 2.11 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

   "2.11 "Vocational Course" means specialization in a specific sector under NSQF scheme."

7. Clause 2.25 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

   "2.25 "LEVEL" as specified in NSQF Scheme notified by Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs)"

8. Clause 2.26 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

   "2.26 "NATIONAL SKILL QUALIFICATION FRAMEWORK" means framework of vocational education program as notified by Ministry of Finance vide No. 8/6/2013-Invt. dated 27th December, 2013."

9. Clause 2.27 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

"2.27 "Vocational Education" means imparting Vocational courses in a certain specialization at a certain level along with General Education under NSQF scheme."

10. Clause 2.32 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

"2.32 "SKILL KNOWLEDGE PROVIDER" means the competency based knowledge provider which will impart skill based training of Vocational Content under NSQF Scheme."

11. Clause 4.20 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

"4.20 Institutions and SKP granted Letter of Approval for conduct of VE, Community College Courses and SKP under NSQF shall comply with appointment of teaching staff, coordinator, and Principal/Director as the case may be, as per policy regarding minimum qualifications, pay scales etc., norms prescribed by the Council and other supporting staff & administrative staff as per the schedule prescribed in Approval Process Handbook.

Institutions other than minority Institutions shall appoint teaching staff / coordinator / Principal / Director and other supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the concerned affiliating University / Technical Board particularly in case of selection procedures and selection Committees.

The information about these appointments of staff in the prescribed format shall also be uploaded on the web-portal of AICTE as per the schedule prescribed in the Approval Process Handbook.

In no circumstances, unless the appointment of all teaching and other staff is in place, the Institution and/or SKP shall start the approved Courses."

12. Clause 6 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

"6.0 The promoter society / trust / company established under Section 25 of the Companies Act, 1956 of a Education Institution / SKP shall have the land as required and prescribed in its lawful possession with clear ownership title or term lease not less than 30 years in the name of promoter society / trust / Company Act, 1956 on or before the date of submission of application.

Provided that it shall be open for the promoter society / trust / company established under Section 25 of the Companies Act, 1956 proposed Institution / SKP to mortgage the land only after the receipt of letter of approval, only for raising the resources for the purpose of development of the Education Institute / SKP situated on the land."

13. Clause 11.0 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

"11 Penalty

An Institution / SKP running any education / skill training under NSQF in violation of these Regulations, shall be liable for initiation of legal civil action including withdrawal of approval, if any, and / or legal criminal action by the Council against the Institution and/or

its Society/ Trust/ Section 25 Company and Individuals / any other associated as the case may be.

Provided further that if any Institution/SKP contravenes any of the provisions of these Regulations, the Council after making such inquiry as it may consider appropriate and after giving Institution / SKP concerned an opportunity to clarify the matter, may take any or all actions as specified below and as the case may be."

14. Clause 12.1 of the Principal Regulation shall stand amended and substituted by the following clause:-

"12.1 An Institution/SKP running any Vocational Educational Program in violation of Regulations or/and Approval Process Handbook, shall be liable for initiation of appropriate Penal Civil action including withdrawal of approval, if any, and / or criminal action by the Council against defaulting Societies/Trusts/Companies / Associated Individuals and / or the Institution / SKP, as the case may be.

Provided that, if any Institution/SKP contravenes any of the provisions of concerned regulations, the council after making such inquiry as it may consider appropriate and after giving these Institution/SKP concerned, an opportunity of being heard, under appropriate regulations, withdraw approval to the concerned Institution/SKP.

Provide further that in case of such a withdrawal, the operations of the said Institution / SKP shall not be started again before completion of two academic years from the date of such a withdrawal.

Provided further that, the students admitted to the Institute/SKP whose approval has been withdrawal, shall be redistributed to other Institutions/SKP in the jurisdiction of the affiliating University or Board by the competent authority of the respective State Governments.

Such Institution / SKP where the approval has been withdrawn, the restoration shall be as per the procedure for seeking fresh approval of the council for conduct of courses under NSQF by Institute/SKP."

Dr. AVINASH S. PANT, Vice Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./162(352)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.